न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0.ए0.एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –120/2025

अनवान

भवाना उर्फ कन्हैया लाल पुत्र मोडा, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी भांडाकुडी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 21.01.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी काश्त की कृषि अराजीयात ग्राम भांडाकुडी, प0ह0 बस्सी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 12 की खसरा संख्या 130, 136, 148, 52, 61, 62, 63, 66, 67 कुल किता 09 रकबा 3.0000 हैक्टर जो खाते मुझ प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर मैं प्रार्थी व अन्य सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पैरा संख्या 01 में वर्णित उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल में मुझ प्रार्थी का नाम भवाना लिखा हुआ है जबकि मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व पहचान पत्र में व अन्य सभी दस्तावेज में मुझ प्रार्थी का नाम कन्हैया लाल लिखा हुआ है। उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का विरासत का इंतकाल खुलवाते समय मेरे परिवारजनों ने राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का घर का तथा बचपन में पुकारे जाने वाला नाम भवाना लिखवा दिया है इसलिए मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भवाना नाम दर्ज हो गया, जबकि मुझ प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व पहचान पत्र आदि दस्तावेज में प्रार्थी का नाम कन्हैया लाल लिखा हुआ है, इसलिए मेरे नाम की इन्द्राज दुरूस्ती कर पैरा संख्या 01 वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी का नाम भवाना उर्फ कन्हैया लाल किया जाना न्यायोचित है। अंत में निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार का प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का नाम भवाना उर्फ कन्हैया लाल किये जाने का आदेश प्रदान कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 21.01.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम भाण्डाकुडी की जमाबंदी सम्वत 2076–79 में आराजी संख्या 130, 136, 148, 52, 61, 62, 63, 66, 67 कुल रकबा 3.00है0 भूमि में भवाना पुत्र मोडा का 1/6 हिस्सा सहखातेदार खातेदारी अधिकार से दर्ज है। जमाबंदी अभिलेख में खातेदार का नाम भवाना दर्ज है, जबकि वास्तविक दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता आदि में नाम कन्हैयालाल अंकित है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान एवं ग्रामवासियों से पूछताछ तथा राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि भवाना एवं कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त तथ्य की पुष्टि ग्राम पंचायत के सरपंच (प्रशासक) द्वारा भी की गई है। सलंग्न दस्तावेजों–आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम भवाना उर्फ कन्हैयालाल किया जाना उचित पाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम भांडाकुडी, प0ह0 बस्सी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 12 की खसरा संख्या 130, 136, 148, 52, 61, 62, 63, 66, 67 कुल किता 09 रकबा 3.0000 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भवाना दर्ज है, प्रार्थी का बोलता नाम गांव मे भवाना है, जबकि प्रार्थी का असल नाम कन्हैयालाल होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम भवाना के स्थान पर भवाना उर्फ कन्हैयालाल करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम भांडाकुडी, प0ह0 बस्सी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 12 की खसरा संख्या 130, 136, 148, 52, 61, 62, 63, 66, 67 कुल किता 09 रकबा 3.0000 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम भवाना के स्थान पर भवाना उर्फ कन्हैयालाल दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

21/01/26

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़